हज व उमरा के मसअले

इस सम्बन्ध में फ़िक्ह अकेडमी के 10वें सेमिनार में विचार हुआ और निम्न घोषणा की गयी। यह सेमिनार मुम्बई में 24-27 अक्टूबर 2001 ई0 (21-24 जमादिउस्सानी 1418 हि0) को आयोजित हुआ।

1 हज इस्लाम का एक अहम रुक्न (स्तम्भ) है। यह जीवन में केवल एक बार फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को अदा करने में लम्बा सफ़र व कठिनाइयां उठानी होती हैं और बहुत रुप्या ख़र्च करना होता है, इसलिए अल्लाह तआला ने इसका बदला और सवाब बहुत ज्यादा रखा है। अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इसे एक तरह का जिहाद करार दिया है। इसलिए हज करनेवालों को चाहिए कि वह इस रास्ते की कठिनाइयों को नेकी (सआदत) समझ कर बर्दाश्त करें। हज के तमाम पहलुओं में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें और जिन मामलों में फ़िक्ह के इमामों में मतभेद हो यानि एक में गुंजाइश हो और दूसरे में सावधानी बरती गयी हो, उनमें ऐसा रास्ता अपनाएं जो दोनो मत के अनुसार सही हो। इस अज़ीम इबादत को पूरा करने में सरलता और आसानी ढूंढने से बचें।

2 हुदूद-ए-मीक़ात (निर्धारित सीमा) से बाहर रहनेवाले हों या मक्का में रहनेवाले, अगर हुदूद के बाहर से मक्का की नीयत करके मीक़ात से आगे बढ़ें तो उनके लिए ज़रूरी है कि वह अहराम बांध कर ही मीक़ात से आगे बढ़ें, चाहे वे हज और उमरा की नीयत से जाएं या किसी और नीयत से।

मौजूदा हालात में जबकि व्यापारी, दफ़्तरों में काम करनेवाले, टैक्सी चालक और अन्य व्यवसायों से जुडे लोग कभी प्रत्येक दिन (हर रोज़) कभी दूसरे तीसरे दिन और कुछ लोग तो एक दिन में एक से अधिक बार हरम शरीफ़ की सीमा में दाखिल होते हैं, ऐसी स्थिति में इन लोगों के लिए हर बार एहराम और उमरा अदा करना बहुत ही कठिन और दुश्वार काम है, इसलिए इन लोगों के लिए बग़ैर अहराम बांधे हरम की सीमा में दाखिल होने की गुंजाईश होगी।

3 जो लोग मक्का के निवासी हैं या वहां रह रहे हैं, उनके लिए हज के महीने में उमरा नहीं है। जो आदमी हज का इरादा रखता है उसे हज के महीने में मीक़ात से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से उसे बाहर जाना पडता है तो वह प्रस्ताव (2) के अनुसार मीक़ात से अन्दर दाखिल होते हुए अहराम न बांधें और उमरा न करे। मक्का में रह रहे लोगों से अभिप्राय वे लोग हैं जो हज के महीने शुरु होने से पहले औपचारिक रूप से मक्का में आकर बस गए हों या कम से कम एक साल से वहां रह रहे हों।

4 हज-ए-तमत्तोअ करनेवाले हाजी हज का ऐहराम बांधने से पहले अतिरिक्त उमरा कर सकते हैं। (जब हज के सफ़र पर जानेवाले लोग हज से पहले उमरा भी करते हैं तो इसे हज-ए-तमत्तोअ कहा जाता है।)

5 रमी जमरात (शैतान को कंकर मारने की रस्म) के सिलसिले में आज के ज़माने में लोगों के अन्दर ऐसा रूजहान बन रहा है कि वह मामूली वजह से या बग़ैर किसी वजह के खुद रमी करने नहीं जाते और किसी

को उत्तराधिकारी बना देते हैं, ऐसा करने से हज का एक वाजिब अमल छूट जाता है इस बात पर सारे आलिम और विद्वान सहमत हैं उत्तराधिकारी बनाना शरीअत में मान्य नहीं हैं लेकिन ऐसे हाजी जो उस स्थान तक जाने की ताकत नहीं रखते उनके लिए ऐसा करने की इजाज़त है।

.6 लोगों का हुजूम कोई शरई उज्र (मजबूरी) नही है लेकिन कोई व्यक्ति अगर भीड में जाकर रमी करने की क्षमता नहीं रखता तो उसके लिए बहतर विकल्प यह है कि वह मसनून वक्त के बाद जाइज़ वक्त के अन्दर या .ज्यादा मजबूरी की स्थिति में जाइज़ वक्त गुज़रने के बाद भी रमी कर सकता है। उसके लिए यह अमल मकरूह नापसंद (अप्रिय) नहीं होगा।

.7 हनफ़ी मसलक की प्राथमिकता के अनुसार 10 ज़िल्हिज्जा को रमी (कंकर मारना), कुर्बानी और हलक़ (सिर मुंढाना) को क्रमानुसार करना वाजिब (ज़रूरी) है, लेकिन उनके अतिरिक्त अधिकतर मसलकों के अनुसार ऐसा करना केवल सुन्नत है, अनिवार्य नहीं। हाजियों को इस क्रम के अनुसार ही हज की रस्में अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हजूम, मौसम की परेशानी और क़ुर्बानी के स्थान की दूरी जैसी मजबूरियों में अगर यह क्रम न अपनाया जा सकता हो तो इस की गुंजाईश है, इसके लिए प्रायश्चित करना (कफ़्फ़ारा या सदक़ा) करना ज़रूरी नहीं होगा।

.8 हज के दिनों में पूरी दुनिया से लोग बडी तादाद में मक्का हज करने आते हैं। हज के प्रबंधक और सुरक्षा उपायों के सिलसिले में निम्न बातों पर अमल करना ज़रूरी है -

(अ) हज के प्रबंधन की समस्त ज़िम्मेदारी सऊदी सरकार पर है। इसलिए सरकार की तरफ़ से दिए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन हाजियों के लिए ज़रूरी है। यह अमर बिल मारूफ़ (नेकी के आदेश) के क़ुरआनी हुक्म के तहत है जिसका मानना शरई रूप से अनिवार्य है। सउदी सरकार अगर प्रबंधन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों को हर साल हज करने से मना करती है तो ऐसा करना उसके लिए जाइज़ है और उसकी पाबंदी करना लोगों पर शरई तौर से अनिवार्य है।

(ब) अगर कोई व्यक्ति इन पाबन्दियों का उल्लंघन करके ऐहराम बांध कर मीक़ात से आगे बढ जाए और फिर पकडा जाए और उसे वापस भेज दिया जाए तो उसे हरम में एक दम देना (क़ुर्बानी करना) वाजिब होगा और जब उसकी तरफ़ से यह क़ुर्बानी अदा की जाएगी तभी वह ऐहराम की पाबंदियों से मुक्त होगा।

.9 अगर शरई इस्तलाह (पारिभाषिक शब्द) के अनुसार कोई हज-ए-बदल (किसी दूसरे की तरफ से हज) करे तो इस स्थिति में हज-ए-इफ़राद अदा करना चाहिए।

(हज-ए-इफ़राद का मतलब यह है कि आदमी केवल हज की नीयत करे, उमरा अदा न करे)। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हज करनेवाला करानेवाले से इसकी इज़ाज़त ले, अगर वह इसकी इजाज़त न ले सका तो हज-ए-तमत्तोअ की इजाज़त होगी, क्योंकि आम तौर से हज - ए-तमत्तोअ ही किया जाता है और करानेवाला अगर खुद आता तो वह भी यही करता। इस स्थिति में उसे मीक़ात से उमरे का अहराम भी करानेवाले की तरफ़ से बांधना होगा और उसी की तरफ़ से क़ुर्बानी भी दी जाएगी।

10 अगर तवाफ़ (ज़ियारत का तवाफ़) से पहले किसी औरत को माहवारी या गर्भ का ख़ून आजाए और उसके लिए किसी तौर पर यह मुमकिन न हो कि वह पाक होकर तवाफ़ कर सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह हर तरह इसकी कोशिश करे कि उसके सफ़र की तारीख़ आगे बढ जाए ताकि वह पाक होकर तवाफ़ ज़ियारत अदा करने के बाद अपने घर वापस जासके, लेकिन अगर ऐसी सारी कोशिशें नाकाम हो जाऐं तो इस स्थिति में वह तवाफ़ कर सकती है, यह तवाफ़ मान्य होगा लेकिन इसके लिए उसे हरम की सीमा में एक बड़े जानवर की क़ुर्बानी देनी होगी।

11 हज के सफ़र में किसी औरत के पति की मौत हो जाए और उसने अभी ऐहराम न बांधा हो और वह उसी समय अपने वतन वापस जा सकती हो तो उसे वापस जाकर इद्दत (शोक के निर्धारित दिन) करनी चाहिए। लेकिन अगर वह ऐहराम बांध चुकी हो, या उसके लिए तुरन्त वापसी मुमकिन न हो तो वह इद्दत के दौरान ही हज व उमरा कर ले।

12 हज का सफ़र करनेवाला उस समय मक्का पहुंचे जब हज शुरू होने में 15 दिन से कम रह गए हों और वह मक्का में 15 दिन न ठहर सके और मिना के मैदान चला जाए तो इस स्थिति में उसकी हैसियत मुसाफ़िर की होगी और उसे नमाज़ क़स्र करनी होगी।

13 अरब में वितर नमाज़ की तीन रकअतें प्रायः दो सलाम से अदा की जाती हैं। हनफ़ी मसलक पर चलनेवाले लोगें को ऐसे इमाम के पीछे वितर की नमाज़ अदा करने की गुंजाइश है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वे दो रकअत के बाद सलाम न फेरें और तीसरी रकअत में इमाम के साथ खड़े हो जाऐं।

☆☆☆